

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति महोबा पुलिस द्वारा निरंतर किया जा रहा है जागरूक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 18.08.2024 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमैन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ

एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 17.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई व030नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा 01 नफर अभियुक्त हृदेश कुमार पुत्र शिवचरण राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम परारजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक सीमेन्ट की सफेद रंग की बोरी में 17 अदद क्वार्टर देशी शराब ड्रूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए ग्राम रजौनी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

हृदेश कुमार पुत्र शिवचरण राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम परारजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व030नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह
2. प्र030नि0 श्री अनुज कुमार सिंह



थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 18.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित टीम के 30नि0प्रशि0 अजय प्रताप सिंह मय हमराह हे0कां0 रामकरन सिंह व कां0 अंकुश पाल के द्वारा 01 नफर अभियुक्त हरीशंकर कुशवाहा पुत्र छिद्दन कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी मो0 राजीवनगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा के कब्जे से 20 क्वाटर अवैध देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए बजरंगबली मंदिर मो0 विवेक नगर थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 233/24 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

हरीशंकर कुशवाहा पुत्र छिद्दन कुशवाहा उम्र 22 वर्ष नि0मु0 राजीवनगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.30नि0प्रशि0अजय प्रताप सिंह
- 2.हे0कां0 रामकरन सिंह
2. कां0 अंकुश पाल



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ

एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र का निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 17.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई 30नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त शिवचरन राजपूत पुत्र वीर सिंह राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम कनकुआ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 159/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवचरन राजपूत पुत्र वीर सिंह राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- व030नि0 सत्येन्द्र सिंह
- प्र030नि0 अनुज कुमार सिंह



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने

एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 18.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ.नि.विनोद कुमार सिंह मय हमराह हे.का.राजाराम पाल द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त बबलू अहिरवार पुत्र गोविन्ददास अहिरवार उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को सम्बन्धित केश न.732/15 धारा 3/25 A Act थाना चरखारी में माननीय न्यायालय जे.एम. चरखारी द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त को ग्राम सूपा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बबलू अहिरवार पुत्र गोविन्ददास अहिरवार उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह
2. हे0का0 राजाराम पाल

